न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 223 / 2021
दायर दिनांक – 21.09.2021

उनवान

1. श्रवण पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
2. रामस्वरुप पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
3. शंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
4. रामगोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
5. किशना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल ग्राम बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
2. भागीरथ पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल ग्राम बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल ग्राम बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
4. रामजीलाल पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल ग्राम बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
5. रामफूल पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल ग्राम बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
6. बद्री पुत्र गौरु जाति बलाई निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
7. जगदीश पुत्र माधो जाति बलाई निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
8. हरिनारायण पुत्र माधो जाति बलाई निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
9. सत्यनारायण पुत्र माधो जाति बलाई निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
10. बाबू पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
11. कालू पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
12. कमला पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
13. रामपति पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
14. बदाम पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
15. गिन्दोडी पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
16. जीतपाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक

17. गिरीराज पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
18. गंगाबिशन पुत्र बाबू जाति मीणा निवासी बहकवा तहसील निवाई जिला टोंक
19. किशनादेवी पत्नी रामसिंह जाति मीणा निवासी राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
20. तहसीलदार निवाई

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री रामावतार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 6 लगायत 9 की ओर से श्री अबरार अहमद अधिवक्ता उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5, 10 लगायत 18 की ओर से श्री पुरुषोत्तम शर्मा उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 20 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।
5. अप्रार्थी सं0 19 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

–: निर्णय :–

दिनांक : 18.04.2022

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 14 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 14/577 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 17 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 19 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 20 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 21 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 22 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 23 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम बहकवा तहसील निवाई में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्तकार होकर भूमि को मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त भूमि में ही प्रार्थीगण की ढाणी मकान वगैरह बने हुये है जिसमें वह मय परिवार निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु मौके पर स्थित रास्ता जो कि अप्रार्थीगण की भूमि से ख0नं0 40, 34 एवं 10 मे से होता हुआ बिडोली सडक तक स्थित है जिससे प्रार्थीगण एवं उनका सम्पूर्ण परिवार अर्सा दराज पूर्व से उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है मौके पर आज भी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता 20 फीट चौडा बिडोली सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 14 तक स्थित है किन्तु उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व शीट में अंकित नही है इसी कारण अप्रार्थीगण के मन व नीयत में खोट आ जाने के कारण वह प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते जो कि ख0नं0 40, 34, 10 में से होता हुआ स्थित है को अनुचित रुप से बन्द कर रास्ते का अस्तित्व ही समाप्त करने पर आमादा एवं उतारु है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व शीट में भी अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के आदेशानुसार नियमानुसार शुल्क बतौर डी.एल.सी. जमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर है तथा प्रार्थीगण के पास अपनी जोत व मौके पर बने हुये मकानात आदि में आने जाने के एवं भूमि काश्त करने हेतु आने जाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा मौके पर आज भी रास्ता बना हुआ है जो चालू है इस कारण रास्ते का राजस्व शीट में अंकन किये जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा एवं क्षति कारित होने की कोई संभावना नही है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 14, 14/577, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 वाके ग्राम बहकवा ढाणी मीणान में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की उक्त भूमि ख0नं0 40, 34, 10 मे से होते हुये 20 फीट चौडा रास्ता बिडोली सडक तक राजस्व शीट में दर्ज इन्द्राज करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं0 6 लगायत 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थीगण विगत 40 वर्षो से ठेकेदार की ढाणी में निवास करते है जो ग्राम बहकवा से ढाई – तीन किलोमीटर दूर है तथा आवेदन में वर्णित उनकी कृषि पर पर आने – जाने के तीन रास्ते पूर्व से मौजूद है। प्रार्थीगण जिस रास्ते को अपना एक मात्र रास्ता बताते है उस रास्ते बाबत उन्होने एक दीवानी वाद सिविल न्यायालय निवाई में मुकदमा नं. 29/12 गोपाल बनाम हरिनारायण वगै0 के नाम से पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 13.11.2019 को हो चुका है और प्रार्थीगण ने सुखाधिकार के आधार पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में कदीमी रास्ता बताकर वाद दायर किया था जो खारिज कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है और वे अप्रार्थीगण को हतोत्साहित करने व नीचा दिखाने के लिये उनकी भूमि में से रास्ता लेना चाहते है। वैकल्पिक रास्ते के मौजूद होते हुये धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। धारा 251 की मूल भावना यह है कि अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं होने पर ही रास्ता दिया जावे और तभी उनके प्रावधान लागू होते है जबकि प्रार्थीगण की भूमि में जाने के तीन रास्ते पहले ही मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नही है क्योंकि प्रार्थीगण ने पूर्व में इसी सम्बन्ध में सिविल न्यायालय निवाई में मुकदमा नं. 29/12 पेश किया था जो दिनांक 13.11.2019 को खारिज हो चुका है और सिविल न्यायालय ने प्रार्थीगण के सुखाधिकार एक मात्र रास्ता होने के तथ्य को गलत बताया है इसलिये न्यायालय हाजा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सुनवाई का अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 10 लगायत 18 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 व 10 लगायत 18 की कृषि भूमि के मध्य से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी मे होकर प्रार्थीगण आते जाते रहे है जिससे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि बिगडी हुई है आजू बाजू की फसलें व अप्रार्थीगण की अधिक कृषि भूमि नष्ट हो रही है। इस कारण अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि ख0नं0 40, 34 के पश्चिम दिशा की मेर की ओर होकर 15 फीट रास्ता स्थापित करवाना चाहते है अर्थात ख0नं0 40, 34 की पश्चिती मेर से 15 फीट रास्ता कायम कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नही होगी। कृषि भूमि भी खराब नही होगी, रास्ता भी मेर पर होकर कायम हो जावेगा, तत्पश्चात अप्रार्थीगण ख0नं0 14, 15, 17 कृषि भूमि जो प्रार्थीगण की है इस भूमि मे से अर्सा दराज से अप्रार्थीगण ख0नं0 18/1 कृषि भूमि में आते जाते रहे है। ख0नं0 18/1 तक रास्ता कायम हेतु उक्त आवेदन पत्र में अप्रार्थीगण की ओर से काउन्टर क्लेम चाहा गया है प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है इस कारण से हमेशा – हमेशा के लिये विवाद के निपटारे हेतु अप्रार्थी सं. 10 लगायत

18 की कृषि भूमि ख0नं0 18/1 तक रास्ता कायम किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमावे। अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 की ओर से प्रार्थना पत्र सहमति प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त सहमति पत्र के अन्तर्गत यह अंकित किया गया है कि ख0नं0 10 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बहकवा अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण ने इस भूमि की पूर्वी मेर पर गड्डू गाडकर तारकसी कर रखी है तथा उत्तर की ओर मेड पडी हुई है उसके बाद जो रास्ता मांगा गया है वह मौके पर स्थित है। मौजूदा स्थिति मे रास्ता लगभग कहीं 15 फीट और कहीं पर 20 फीट चौडा है और अप्रार्थीगण की तारकसी के बाद पूर्व दिशा की ओर वर्तमान मौके की स्थिति के अनुरुप रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 को कोई आपत्ति नही होगी। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का मुआवजा भी नही लेगें, यदि उक्तानुसार निस्तारण होता है तो यहां अप्रार्थीगण यह स्पष्ट करना चाहते है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जो अप्रार्थीगण की तारकसी व मेडे पडी हुई है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा और ना ही उनके उपयोग में किसी प्रकार का व्यवधान डाला जावेगा।

तहसीलदार निवाई को उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार निवाई से मौका रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक /भू0अ0/2022/3616 दिनांक 11.03.2022 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 10, 14, 15, 17, 34, 40 में से होकर है। मौके पर चालू है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर पहुॅचने हेतु अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता नही है तथा वैकल्पिक रास्ता भी नही है। उक्त रास्ते के उपयोग में कुल 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि आवेंगी। इस प्रकार उक्त रास्ते के उपयोग में आराजी ख0नं0 40 में से 07 बिस्वा, ख0नं0 10 में से 1 बिस्वा, ख0नं0 34 मे से 3 बिस्वा, ख0नं0 14 में से 8 बिस्वा, ख0नं0 15 मे से 3 बिस्वा, ख0नं0 17 मे से 3 बिस्वा कुल 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आएगी।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.04.2022 को पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 10 लगायत 18 द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब – प्रार्थना मय काउन्टर क्लेम के अनुसार स्वीकार करने का निवेदन किया गया साथ ही बहस के दौरान यह भी सहमति दी गयी कि यदि काउन्टर क्लेम के अनुसार अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 18/1 की सीमा तक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 14, 15, 17 से होकर रास्ता कायम किया जाता है कि तो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से बतौर क्षतिपूर्ति के कोई राशि नही चाहिए। इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से भी कोई क्षतिपूर्ति राशि नही लेने बाबत सहमति प्रदान की गयी। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 10 लगायत 18 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट पत्र क्रमांक /भू0अ0/2022/3616 दिनांक 11.03.2022 तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

के अवलोकन एवं बहस के दौरान वर्णित तथ्यों के मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि आराजी ख0नं0 14 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 14/577 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 17 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 19 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 20 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 21 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 22 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 23 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा में पहुॅचने के लिए जो रास्ता चाहा गया है वह आराजी ख0नं0 40, 10 व 34 मे से होकर जाता है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब – पार्थना मय काउन्टर क्लेम में चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 14, 15, 17 मे से होकर जाता है। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है तथा प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई रिकार्डेड एवं वैकल्पिक रास्ता भी नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम बहकवा, पटवार मण्डल बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 40 में से 07 बिस्वा, ख0नं0 10 में से 1 बिस्वा, ख0नं0 34 मे से 3 बिस्वा, ख0नं0 14 में से 8 बिस्वा, ख0नं0 15 मे से 3 बिस्वा, ख0नं0 17 मे से 3 बिस्वा कुल 1 बीघा 05 बिस्वा (16.50 फीट चौडाई में) रास्ता हेतु राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग का रास्ता होगा। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो पक्षो के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नही लेने की सहमति देने से क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण नही किया गया है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करावे।

आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

18/04

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी निवाई